16/6/25 पत्रा. पेश हुई। वकु. उप.। अपील आपीलांट स्वीकार की जाती है। निर्णय पृथक् से लिखवाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:07:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीणा R.A.S.)

प्रकरण सं. 03/2015
किस्म प्रार्थना पत्र 75 एलआर एक्ट
निर्णय दिनांक 16/06/2025

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र नरेन्द्र जाति जाट निवासी कटारा तहसील नदबई हाल मुलाजिम रेलवे बडौदा, गुजरात

अपीलांट

बनाम

1. प्रकाश पुत्र भगवती जाति जाट निवासी कटारा तहसील नदबई (भरतपुर)राज.
   1/1 हरिओम पि0 प्रकाश जाति जाट निवासी कटारा तहसील नदबई (भरतपुर) राज.
   1/2 सुरेन्द्र पि0 प्रकाश जाति जाट निवासी कटारा तहसील नदबई (भरतपुर) राज.
   1/3 रूकमणि पि0 प्रकाश जाति जाट निवासी कटारा तहसील नदबई (भरतपुर) राज.
2. शारदा पुत्री भगवती जाति जाट निवासी कटारा तहसील नदबई (भरतपुर)राज.
3. माया पुत्री भगवती जाति जाट निवासी कटारा तहसील नदबई (भरतपुर)राज.
4. सरपच ग्राम पंचायत कटारा।

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री दिलीप सिंह एड0 (वकील वादी)

श्री महेन्द्र मीणा एड0 (वकील प्रतिवादी)

:: निर्णय :: प्रार्थना पत्र 75 एलआर एक्ट

प्राथीगण द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 राज भू-राजस्व अधिनियम विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत कटारा दिनांक 06.06.2015 बाबत् दाखिला खारिज संख्या 1012 ग्राम कटारा तहसील नदबई के तह पेश किया। जो संक्षिप्त में निम्नानुसार है–

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:07:46 IST
Reason: SelfAttested

16/6/25
उप जिला कलक्टर
एवं
उप जिला मजिस्ट्रेट

Scanned with OKEN Scanner

1 यह है कि ग्राम पंचायत कटारा दिनांक 6.6.2015 व ग्राम पंचायत कटारा नामान्तरण संख्या 1012 ग्राम कटारा खिलाफ कानून व रूयेदार मिसिल है। जो काबिल मंसूखी के है।

2 यह है कि अपील में सजरा संलग्न है।

3 यह है कि बलवीर की आराजी मुतनाजा वाके ग्राम कटारा तहसील नदबई में स्थित बलवीर का कोई लडका लडकी व औरत नहीं थी। बलवीर दिनांक 02.09.2013 को फौत हो गया है।

4 यह है कि बलवीर हमेशा से राजेन्द्र के साथ रहा है। और राजेन्द्र ही उसकी सेवा की है। और उसको करार किया है कि उसकी सेवा से प्रसन्न होकर बलवीर ने अपने हिस्से की आराजी व समस्त चल अचल सम्पत्ति की वसीयत राजेन्द्र के हक में दिनांक 5.01.2013 को की है।

5 यह है कि वसीयत उसने स्वस्थ चित व बिना किसी दबाव के की थी।

6 यह है कि राजेन्द्र का उसकी समस्त जायदाद पर उसके जमाने से ही कब्जा था क्योंकि राजेन्द्र के साथ ही वह रहता था।

7 यह है कि वसीयत दो गवाहान के समक्ष की है।

8 यह है कि वसीयत के आधार पर सेक्शन 40 टीनेन्सी एक्ट के आधार पर उसका दाखिल ग्राम पंचायत को करना चाहिए था लेकिन ग्राम पंचायत ने बाला ही बाला बिना अपीलांट को सूचना दिये उसकी जमीन का दाखिल रेस्पोडेन्ट के नाम किया है। जो कानून के खिलाफ है।

9 यह है कि अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया और न ही कोई सुनवाई का मौका दिया और न ही सही तथ्यों की जांच की और न कब्जे व मौके की जांच की और यह आदेश दिनांक 06.06.2015 को पारित कर दिया है जो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। जो काबिल मंसूखी के है।

10 यह है कि बलवीर ने अपने हिस्से की वसीयत की है।

11 यह है कि खातेदार अपने हिस्से की वसीयत कर सकता है।

12 यह है कि इस फैसला का अपीलांट को कोई इल्म नहीं था। क्योंकि अपीलांट मुलाजिम है। और गुजरात में रहता है। जब दिनांक 06.09.2015 को प्रार्थी के पास बच्चू सिंह ने फोन किया कि बलवीर की जमीन का दाखिला खारिज प्रकाश के नाम हो गया है। जब इल्म की जानकारी से अपील पेश की जा रही है। डिले कन्डोम करने के लिए दफा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश है।

13 यह है कि बलवीर की छोडी गई आराजी समस्त पर अपीलांट का कब्जा है।

14 यह है कि इंतकाल संख्या 1012 खोला है वह स्टे के होते हुए खोला है।

अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर आदेश नामान्तरण संख्या 1012 ग्राम पंचायत कटारा दिनांक 06.06.2015 निरस्त किया जावे और वसीयत दिनांक 05.01.2013 के आधार पर अपीलांट के नाम दाखिला खारिज खोलने के आदेश दिये जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:07:46 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
एवं
उप जिला मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

है कि अपीलांट को एवं वरीयत तहसीलदार को देनी चाहिए थी। बाद जांच ही वसीयत का राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करना था। जिसे पैतृक सम्पत्ति के विरुद्ध होने के कारण वसीयत निराधार है

6. यह है कि अपीलांट को जरिये वसीयतनामा कार्यवाही करनी चाहिए थी। जिसे अपीलांट एवं छिपाकर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विरासतन हकदारी तय करते हुए दाखिला कब्जे व मौके के आधार पर ही निस्तारण किया है। वसीयत फर्जी तरिके से गुजरात में लिखाकर वहीं तस्दीक कराया है।जिसे मृतक द्वारा नहीं कराया गया है। अंगित कर हस्ताक्षकर पूर्व तारिखों में ही कराकर ही तैयार कराया है। जो विश्वसनीय की है। इसलिए उक्त नोटिस व कब्जा स्वीकार नहीं है। क्योंकि मृतक के राशन कार्ड में 49 वर्ष को काटकर उम्र 65 वर्ष बढायी गई है।

7. यह है कि बलवीर द्वारा हिस्से कि वसीयत करना अपीलान्ट द्वारा वर्णित की है जो रिकॉर्ड व सबूतों से सिद्ध करनी है परन्तु पैत्रिक सम्पत्ति जरिये वसीयत अलग नहीं की जा सकती है।

8. यह है कि अपीलान्ट द्वारा बलवीर की मृत्यु दिनांक 02.09.2013 को प्राप्त होना पता था। तो बसीयतनामा का दाखिला क्यों नहीं चढवाया जिसे हकूक तय कराता तो पता चलता परन्तु छल कपट से वसीयत कराने की जाहिर नहीं करना अपनी धोखाधडी को जाहिर न करना फिर यह कहना कि दाखिला का पता नहीं चलने दिया जो करीब 2 वर्ष बाद तस्दीक हुआ जो काविल गौर अदालत है।

9. यह है कि अपीलान्ट का विवरण ग्राम पंचायत द्वारा एकतरफा कार्यवाही दाखिला करना बताना नितान्त गलत है पटवारी व आईएलआर द्वारा वाद जाच विरासतन व सजरा जिसमें वरिसान की रिपोर्ट के बाद कानूनी अधिकारों को दृष्टिगत रखते हुए निस्तारित करना जाहिर है जो काविल गौर अदालत है।

अतः जबाब रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 स्वीकार करते हुए अपीलान्ट अपील इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट/अप्रार्थी संख्या 02 व 03 की ओर से इकबाल जबाव अपील अपीलांट पेश किया गया, जो संक्षेप में इस प्रकार है—

1. यह है कि मृतक बलवीर द्वारा राजेन्द्र के हक में वसीयतनामा सही होना स्वीकार है।

2. यह है कि बलवीर द्वारा राजेन्द्र के हक में अपनी चल अचल सम्पत्ति की वसीयत की गई । क्योंकि राजेन्द्र ने बलवीर की सेवा की थी। और उसकी के नाम अपनी चल अचल सम्पत्ति की वसीयत की थी। जो सही है।

3. यह है कि रेस्पो. उक्त आराजी में हिस्से दार व सहखातेदार है। जिनसे धोखा देकर रेस्पो. संख्या 01 ने यह कहते हुए रिलीजडीड करा ली कि यह दाखिल खारिज समस्त हिस्सेदारों के नाम ... व आप दोनों की इसमें सहमति इसमें आवश्यक है। क्योंकि मृतक बलवीर के वारिसान में हम दोनों हिस्सेदार है व हमारे भाई का लडका राजेन्द्र भी हिस्सेदार व सहखातेदार था

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:07:46 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
एवं
उप जिला मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर)

प्रार्थीगण की अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 की ओर से श्री सुरेश एडवो. उपस्थित हुए एवं अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री महेन्द्र सिंह मीणा द्वारा वकालतनामा पेश किया गया है।

अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जबाव अपील अपीलांट पेश किया गया, जो संक्षेप में निम्नानुसार है–

1. यह है कि अपील मीमो की मद संख्या 02 मे सजरा स्वीकार नहीं है। तथा अपीलांट द्वारा सभी वारिसान द्वारा अपील पेश न कर और न ही पक्षकार बनाकर एक मात्र राजेन्द्र सिंह अपीलांट द्वारा पेश करना व सजरा में सभी वारिसान को नहीं खोलना तथा स्वयं मृतक को जीवित दर्शाना काबिल दुरूस्ती के है। इसलिए न ही भगवती मृतक के वारिसान को पक्षकार बनाया गया है।
2. यह है कि अपील मीमों में मद संख्या 03 में वर्णित कथन असत्य तहरीर किया है। क्योंकि बलवीर मृतक के पुत्र पुत्री नहीं होना स्वीकार है। परन्तु शादीशुदा था। जिसकी औरत शकुन्तला थी। जो करीबन 22 वर्ष पूर्व स्वयं वसीयत कर्ता द्वारा मृत्यु होना स्वीकार किया है। और ग्राम पंचायत कटारा द्वारा भी करीबन 15 वर्ष पूर्व शकुन्तला की मृत्यु होना सजरा द्वारा जाहिर किया है। जिसे वर्णित नहीं किया है।
3. यह है कि मीमो ऑफ अपील की मद संख्या 04 असत्य तहरीर अपीलांट द्वारा करने के आधार पर स्वीकार नहीं है। क्योंकि मृतक बलवीर किसी भी व्यक्ति केबल नहीं रहता है। वह अलग अपने रिहायशी मकान में रहता था। और पूर्व तथा जबाव अवस्था में था। किसी से सेवा कराने की जरूरत नहीं पडी थी। न ही मृतक द्वारा कोई वसीयत तहरीर कराई है। जो विवरण वसीयत दिनांक 05.01.2013 दर्शाया है। वह मनगढन्त है क्योकि मृतक उन दिनों गांव कटारा में ही रहा है। जिसका लिखित सबूत व शपथ पत्र गांव वालों की तरफ से स्वयं रेस्पो0 पेश करेगा। जिससे असलियत का पता स्वयं ही लगेगा। और वसीयतनामा के स्टाम्प पर भले ही पूर्व में हस्ताक्षर करा लिया हो, लेकिन अपीलांट द्वारा मृतक द्वारा वसीयत नहीं लिखाई गई है। और उसका हिन्दू रिति रिवाज अनुसार कारज भी रेस्पो0 द्वारा किया गया था। अपीलांट तो अपनी नौकरी से छुटटी लेकर आया था। खर्चा गंगाजी पिण्डदान स्वयं रेस्पो0 01 द्वारा ही किया गया है।
4. यह है कि अपीलांट द्वारा अपील में अपना कब्जा जीवनकाल से ही बताना गलत है वह स्वयं काश्त करता था तथा अपीलांट नौकरी पर बडोदा रहता था। वह अलग ही रहकर अपनी कमाई करता था।
5. यह है कि अपीलान्ट मद संख्या 07 विवरण वसीयत नामा के आधार पर धारा 40 टीनेन्सी एक्ट के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा दाखिला बाबत कथन बेबूनियाद है। इन्होने चोरी छिपे वसीयत कराई जिसे सभी के सामने उजागर नहीं किया है। जिसे सभी के सामने उजागर नहीं किया है यही कारण

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:07:46 IST
Reason: SelfAttested

1/9/25
उप जिला कलक्टर
एवं
उप जिला मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

है कि अपीलांट को एवं वरीयत तहसीलदार को देनी चाहिए थी। बाद जांच ही वरीयत का राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करना था। जिसे पैतृक सम्पत्ति के विरूद्ध होने के कारण वरीयत निराधार है

6. यह है कि अपीलांट को जरिये वरीयतनामा कार्यवाही करनी चाहिए थी। जिसे अपीलांट एवं छिपाकर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विरासतन हकदारी तय करते हुए दाखिला कब्जे व मौके के आधार पर ही निस्तारण किया है। वरीयत फर्जी तरिके से गुजरात में लिखाकर वहीं तस्दीक कराया है। जिसे मृतक द्वारा नहीं कराया गया है। भ्रमित कर हस्ताक्षकर पूर्व तारिखों में ही कराकर ही तैयार कराया है। जो विश्वसनीय की है। इसलिए उक्त नोटिस व कब्जा स्वीकार नहीं है। क्योंकि मृतक के राशन कार्ड में 49 वर्ष को काटकर उम्र 65 वर्ष बढायी गई है।

7. यह है कि बलवीर द्वारा हिस्से कि वसीयत करना अपीलान्ट द्वारा वर्णित की है जो रिकॉर्ड व सबूतों से सिद्ध करनी है परन्तु पैत्रिक सम्पत्ति जरिये वसीयत अलग नहीं की जा सकती है।

8. यह है कि अपीलान्ट द्वारा बलवीर की मृत्यु दिनांक 02.09.2013 को प्राप्त होना पता था। तो बसीयतनामा का दाखिला क्यों नहीं चढवाया जिसे हकूक तय कराता तो पता चलता परन्तु छल कपंट से वसीयत कराने की जाहिर नहीं करना अपनी धोखाधडी को जाहिर न करना फिर यह कहना कि दाखिला का पता नहीं चलने दिया जो करीब 2 वर्ष बाद तस्दीक हुआ जो काविल गौर अदालित है।

9. यह है कि अपीलान्ट का विवरण ग्राम पंचायत द्वारा एकतरफा कार्यवाही दाखिला करना बताना नितान्त गलत है पटवारी व आईएलआर द्वारा वाद जांच विरासतन व सजरा जिसमें वरिसान की रिपोर्ट के बाद कानूनी अधिकारों को दृष्टिगत रखते हुए निस्तारित करना जाहिर है जो काविल गौर अदालत है।

अतः जबाब रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 स्वीकार करते हुए अपीलान्ट अपील इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट/अप्रार्थी संख्या 02 व 03 की ओर से इकबाल जबाव अपील अपीलांट पेश किया गया, जो संक्षेप में इस प्रकार है–

1. यह है कि मृतक बलवीर द्वारा राजेन्द्र के हक में वसीयतनामा सही होना स्वीकार है।
2. यह है कि बलवीर द्वारा राजेन्द्र के हक में अपनी चल अचल सम्पत्ति की वसीयत की गई। क्योंकि राजेन्द्र ने बलवीर की सेवा की थी। और उसकी के नाम अपनी चल अचल सम्पत्ति की वसीयत की थी। जो सही है।
3. यह है कि रेस्पो. उक्त आराजी में हिस्से दार व सहखातेदार हैं। जिनसे धोखा देकर रेस्पो. संख्या 01 ने यह कहते हुए रिलीजडीड करा ली कि यह दाखिल खारिज समस्त हिस्सेदारों के नाम होगा व आप दोनों की इसमें सहमति इसमें आवश्यक है। क्योंकि मृतक बलवीर के वारिसान में हम दोनों हिस्सेदार है व हमारे भाई का लडका राजेन्द्र भी हिस्सेदार व सहखातेदार था

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:07:46 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
एवं
उप जिला मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

किन्तु मृतक बलवीर ने अपनी चल व अचल सम्पत्ति की वसीयत राजेन्द्र के नाम तहरीर व तस्दीक करवा दी थी। जो वही इसकी जायदाद का कानूनी हकदार है। ऐसी स्थिति में उक्त दाखिल खारिज व मुकाबले हकूक राजेन्द्र काबिल खारिजी के हैं जिसमें हम दोनों रेस्पो. की पूर्ण सहमति है।

प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2070 से 2073 वाके ग्राम कटारा, मृत्यु प्रमाण–पत्र (प्रकाश) प्रमाणित प्रतिलिपि नामांतरण सं. 1018 वाके ग्राम कटारा, मूल वसीयतनामा दिनांक 05.01.2013, नकल जमाबंदी संवत 1995 पेश किये गये।

वकील अपीलान्ट् एवं रैस्पोडेन्टस की बहस सुनी गई। अपीलांट एवं रेस्पो0 अधिवक्तागण द्वारा लिखित बहस पेश की गई है। जिसमें अपीलांट द्वारा अपील में अंकित बिन्दूओं को एवं रेसपोन्डेन्ट अधिवक्ता ने जबाव अपील में अंकित बिन्दूओं को ही दोहराया हैं। बहस वकील फरीकेन पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में नामान्तरण संख्या 1012 ग्राम पंचायत कटारा दिनांक 06.06.2015 को खारिज करने का निवेदन किया गया है। अपीलांट द्वारा बलवीर की देखभाल की गई एवं बलवीर के कोई लडका–लडकी एवं औरत नहीं है एवं बलवीर ने अपने हिस्से की आराजी व समस्त चल अचल सम्पत्ति की वसीयत राजेन्द्र के हक में दिनांक 05.01.2013 को वसीयत तहरीर की है। ग्राम पंचायत द्वारा अपीलांट को कोई नोटिस जारी किये बिना ही रेस्पोन्डेन्ट के पक्ष में नामान्तरण दर्ज किया है। एकमात्र प्रकाश पुत्र भगवती वारिस होने को दस्तावेज कहीं भी रेस्पो0 द्वारा पेश नहीं किया गया है जिससे यह सिद्व किया जा सके कि प्रकाश पुत्र भगवती कानूनी वारिस है और न ही रेस्पो0 द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया गया है जिससे यह सिद्व किया जा सके कि वादीगण द्वारा दावा वापिस लेने के पश्चात ही नामान्तरण की कार्यवाही हुई है, जैसा कि अपीलांट द्वारा बावजूद स्थगन आदेश नामान्तरण खोलने हेतु कथन लिखे गये है। विवादित आराजी पैतृक होने के संबध में भी न्यायालय द्वारा कोई आदेश नहीं दिया गया था। रेस्पो0 संख्या 02 व 03 द्वारा अपील का इकबाल जबाव पेश किया गया है। जिससे भी वसीयतनामा को ताईद किया गया है। एवं वसीयत को पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है। ग्राम पंचायत कटारा द्वारा नामान्तरण प्रकिया के समय इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा गया है। प्रस्तुत प्रकरण में सभी वारिसान को बिना सुने एकपक्षीय आदेश किया गया

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:07:46 IST
Reason: SelfAttested

16/7/25

उप जिला कलेक्टर
एवं
उप जिला मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

है। ऐसे एक पक्षीय आदेश में परिसीमा तात्विक नहीं है। इसलिए ग्राम पंचायत कटारा द्वारा नामान्तरण गलत खोला गया है। अतः नामान्तरण संख्या 1012 दिनांक 06.06.2015 को खारिज किया जाना उचित है।

अतः आज्ञा है कि :–

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 1012 दिनांक 06.06.2015 आज्ञा सरपंच ग्राम पंचायत कटारा निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार नदबई को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि वे उभयपक्षकारान को सुनकर वसीयतनामा दिनांक 05.01.2013 की सही जांच कर पुनः विधिवत निर्णय पारित करें। निर्णय प्रति तहसीलदार नदबई को पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.06.25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/6/25

(गंगाधर मीना)
उपखण्ड अधिकारी नदबई
उप जिला मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:07:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner